SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: When the cyclone came in Andhra Pradesh, Tamilnadu and other places, there was difficulty of protecting them; and the responsibility was not clearly defined. So, many difficulties came. There was a criticism against the States by the Central Government and against the Central Government by the States. Therefore, will the hon. Minister come before the House with a legislation to mitigate the natural calamities like cyclone, drought and other things?

MR. SPEAKER: This does not arise.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It is regarding shelter belts.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: It may be shelter belts.

MR. SPEAKER: Law is a different thing. You can put the question.

SHRI T. BALAKRISHNIAH: Due to cyclones, the internal areas like supply channels and canals have been very much affected during the time of cyclones. Under the proposed scheme for creating a protected belt, are these canals, supply channels also included, if so, what are the areas that have been included in Andhra Pradesh, and what is the amount that has been earmarked for protecting these supply channels and the internal cannals that are likely to be affected by the cyclone?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: This was regarding protection belt along the coastal line, so it is not for interior or protection of canals or the communication system, but only on the coastal belt.

SHRI T. BALAKRISHNIAH: The recent cyclones which occurred in Andhra Pradesh had taken place in the coastal area. Almost all the supply channels, canals that are feeding channels for the fields had been damaged; and that is the real damage that has been caused to a large number of people.

MR. SPEAKER: A different scheme would be necessary for that.

SHRI T. BALAKRISHNIAH: Is there any such scheme even for such channels, supply channels and feeding canals to give them protection in future at least?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: There is no such scheme so far for these channels and protection bunds.

SHRI PADMACHARAN SAMANTA-SINHERA: In 1971 in Orissa in the cyclone thousands of people died. Is there any proposal or scheme for Orissa to protect saline water and cyclones also?

MR. SPEAKER: You are widening the area. This is a very limited question.

SHRI PADMACHARAN SAMANTA-SINHAR: The Government of Orissa gave a scheme how to protect from cylone also and saline water.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Under that scheme also, this was protecting the interior area from cyclone because this is a belt of Casurina and thereafter coconut and cashewnut—from 100 metres to a kilometre. This belt of aforestation along the sea coast would protect the interior areas also from cyclones, because fury of cyclones was borne by these protected belts.

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में डाक व दूरसंचार सुविधाएं

*1022. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर डाक व दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) :
दूरसंचार :

(क) और (ख). सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं की प्राथमिक व्यवस्था करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है अन्य स्थानों में लागू विवेचक मापदंड के मुकाबले पिछड़े क्षेत्र वाले स्थानों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा तारघर खोलने के विवेचक मापदंड को काफी उदार बना दिया गया है। उक्त मापदंड और मध्य प्रदेश के उन जिलों की सूची जिन्हें पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और जहां इस प्रकार के उदार मापदंड लागू होते हैं, बताने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है।

डाक :

(क) और (ख). मध्य प्रदेश में डाक सुविधा के विस्तार के उद्देश्य से पिछड़ा क्षेत्र समझे जाने वाले क्षेत्रों की सूची सभा पटल पर रखी जा रही है। इस प्रकार के क्षेत्रों में डाकघर खोले जाने के लिए आबादी और वित्तीय नियमों में दी गई ढील का परिपालन किया जाता है।

विवरण

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं संयुक्त डाकघर खोलने की नीति स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय
(2) उप मंडलीय मुख्यालय
(3) तहसील मुख्यालय
(4) उप तहसील मुख्यालय
(5) ब्लाक मुख्यालय,
(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्त	संयुक्त डाकघर खोलने हेतु शर्त
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।
(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों पुलिस अधिकारी हो।	जिनका इंचार्ज उपनिरीक्षक या इससे ऊपर के पद का
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
(8) आम रास्ते से दूर के स्थान।	
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होनी चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

मध्य प्रदेश के डाक की दृष्टि से पिछड़े इलाकों की सूची

1. विंध्य प्रदेश
2. बासार तहसील, बालाघाट जिला
3. बस्तर जिला
4. कटहरा तहसील, बिलासपुर जिला
5. बेतूर और भैंसदेई तहसील, बेतूल जिला
6. अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा और लखंडन तहसील, जिला छिंदवाड़ा

7. बालोद (संजारी तहसील, दुर्ग जिला)
8. मंडला जिला
9. धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, जशपुरनगर और खरसिया तहसील, रायगढ़ जिला
10. हरसूद तहसील, निमाड़ जिला
11. सरगुजा जिला
12. बिलासपुर, रायगढ़ और सारंगढ़ तहसील, बिलासपुर जिला
13. झबुआ जिला
14. बिंदरा तथा नवागढ़ तहसील, रायपुर जिला
15. देवास जिला
16. नरसिंहपुर जिला
17. शाजापुर जिला
18. भिंड जिला
19. मुरैना जिला
20. शिवपुर जिला
21. गुना जिला
22. सागर जिला
23. दमोह जिला
24. विदिशा जिला
25. धार जिला
26. खारगोन जिला
27. रायसेन जिला
28. सिहोर जिला
29. राजनंदगांव जिला
30. बिरासिया तहसील, भोपाल जिला
31. रायगढ़ जिला
32. सिवनी तहसील, सिवनी जिला
33. मुलाई तहसील, बेतुल जिला
34. कवती, मूंगेली और जांजगीर तहसील, बिलासपुर जिला
35. सासर तहसील, छिंदवाड़ा जिला।

(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(9) पर्यटन/तीर्थ, केन्द्र/कृषि-सिंचाई, विद्युत परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5,000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(10) सभी अन्य स्थान

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामले में किराये और गारंटी के आधार पर।

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामले में किराये और गारंटी के आधार पर।

नोट 1 : जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि० मी० अर्धव्यास के वृत्त में आए हुए सभी स्थानों की सम्मिलित जनसंख्या यदि 2500 या उससे अधिक हो तो केन्द्रीय स्थान पर बिना हानि और अत्यतम राजस्व की शर्तों के सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है। इस छूट के अंतर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते हैं।

नोट 2 : यदि प्रस्तावित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले

1. बालाघाट 2. बस्तर 3. बैतूल 4. बिलासपुर 5. भिंड 6. छतरपुर 7. छिंदवाड़ा 8. दमोह 9. दतिया 10. धार 11. देवास 12. गुना 13. होशंगाबाद 14.4 झबुआ 15. खारगोन 16. मंडला 17. मंदसौर 18. मुरैना 19 नरसिंहपुर 20. पन्ना 21. रायगढ़ 22. रायपुर 23. राजगढ़ 24. रायसेन 25 रतलम 26. रीवा 27. सागर 28. सियोनी 29. शाहजापुर 30. शिवपुरी 31. सिधी 32. सुरगोजा 33. टीकमगढ़ 34. विदिशा 35. शाहडोल 36. दुर्ग (1) बलौद (संजासी तहसील) 37. खंडवा (1) हरसुद तहसील।

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या यह सही है कि पिछड़े इलाकों में पिछड़ी जातियों के ऊपर, आदिवासी और हरिजनों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार हुआ करते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय थानों में तार और दूर संचार की व्यवस्था स्थापित करें ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : मध्य प्रदेश में 551 थाने हैं जिन में 242 में टेलिफोन की फैसिलिटी दी गई है और टेलीग्राम की फैसिलिटी 347 में दी गई है। इसके बाद जो और हैं उनमें भी जो हमारे नाम हैं उनके अनुसार ये सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दलपत सिंह परस्ते : मंत्री महोदय ने कहा कि प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां अधिकतर अन्याय हुआ करते हैं क्या तत्काल ध्यान दिया जायेगा क्योंकि अफसर लोग हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में नेग्लेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। वहां दूर संचार की व्यवस्था स्थापित करने में वे टालमटोल करते हैं। तो क्या आप ऐसा आदेश करेंगे कि इन स्थानों में यह व्यवस्था जल्दी स्थापित की जाय ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : हम ने जो नार्म्स बनाए हैं वह ला ऐंड आर्डर और जनता की सुविधाओं के आधार पर ही बनाये हैं और जैसा आप ने कहा हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पी० सी० ओ० हैं उनके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं जैसे पुलिस स्टेशन और ब्लाक हैडक्वार्टर तथा यहां तक कि पंचायत मुख्यालय तक भी हमारे नार्म्स हैं। कुछ कठिनाई के कारण हम अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं लेकिन हमारी यह कोशिश है कि जैसा आप ने कहा उस को पूरा करने की चेष्टा करें।

हिली एरियाज के बारे में भी जहां तक पोस्ट आफिसेज का सवाल है वह ग्राम पंचायत लेवल पर अगर ग्राम पंचायत का मुख्यालय है तो ऐसी जगहों में भी हम लोग पोस्ट आफिस खोल रहे हैं लेकिन पापुलेशन और मिनिमम रेवेन्यू के आधार पर ही ये खुलेंगे। हिली एरियाज में दस परसेंट अगर कम रेवेन्यू आती है तो वहां हम पोस्ट आफिस खोलेंगे और तीन किलोमीटर तक जहां डिस्टेंस है एक पोस्ट आफिस से दूसरे पोस्ट आफिस में वहां हम नहीं खोल सकते हैं उस से अधिक होगा तो वहां खोलेंगे।

SHRI HUKAM RAM: What are the similar facilities that the hon. Minister intends to extend in the far flug areas of desert in Rajasthan where postal communication services are absolutely meagre?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : अध्यक्ष महोदय, आपने जो नार्म्स निश्चित किए हैं उनके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। पहले जिला मुख्यालय पर हम खोलेंगे। फिर उपमण्डलीय सब डिवीजनल हैडक्वार्टर पर खोलेंगे। फिर तहसील, सब तहसील, ब्लाक हैडक्वार्टर और ऐसे स्थान जहां की जनसंख्या 5 हजार से अधिक है प्लेन एरिया में, और ढाई हजार पर्वतीय एरिया में तथा पुलिस स्टेशंस और इरीगेशन प्लान्टस वगैरह जहां हैं वहां पर भी खोलेंगे। इस के साथ ही साथ जहां प्लेन एरिया में 25 प्रतिशत रेवेन्यू आती है वहां भी खोलेंगे। बैकवर्ड एरियाज में 15 प्रतिशत रेवेन्यू आती है तब भी वहां खोलेंगे और हिली एरिया में अगर 10 प्रतिशत रेवेन्यू आती है तब भी वहां खोलेंगे। इस प्रकार के हमने नार्म्स बनाए हैं। इसी तरह से डेजर्ट एरिया में अगर ब्लाक हैडक्वार्टर है तो वहां भी खोलेंगे। ग्राम पंचायत में भी हम पोस्ट आफिस खोलेंगे।

श्री हुकमचन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने काफी स्थानों पर टेलीफोन खोलने का उल्लेख किया है मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण मुख्यालय रहे हैं वहां पर भी खोलने की आपकी योजना है

यदि हां, तो वह कब तक प्रारम्भ हो जायगी। दूसरे जो पर्वतीय और वनवासी क्षेत्र हैं उनका भी लगातार सम्पर्क तहसील और जिला स्थानों से बना रहे, इसके लिए भी क्या आपकी योजना है? यदि है, तो वह कब तक प्रारम्भ हो जायगी और उस पर कितना खर्चा होगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : जी हां जैसा आपने कहा उसकी सारी योजनायें हम बना चुके हैं और खोल रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर्स का पूरा सम्बन्ध दूसरी जगह से हो जाए ऐसा पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की सम्भावना है। जिला स्थान का सम्पर्क भी तहसील और डाक से करने की योजना है।

श्री हुकमचन्द कछवाय : खर्चा कितना होगा?

श्री बृजलाल वर्मा : खर्चा तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन छठी योजना में यह पूरा हो जायेगा।

श्री बसन्त कुमार पंडित : मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वह आप की सूची में नहीं है, वहां पर डाकतार विभाग की उपलब्धी कहीं नहीं चल रही है, पी०सी०ओ० की मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं जो कि चलती नहीं है कहीं पर तो डाक तार विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिए जगह नहीं है, कहीं दफ्तर की व्यवस्था नहीं है, कहीं मशीनें पुरानी है—केवल कागज पर अस्तित्व है परन्तु वह सक्रिय नहीं हैं इसलिए क्या मंत्री जी इसके बारे में जांच करेंगे और जांच कर के जहां पर सुविधा नहीं है या सीमित सुविधा है उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री बृजलाल वर्मा : जो दिक्कतें आपने बताई हैं वह तो जरूर हैं क्योंकि हमारे पास सरकारी डिपार्टमेन्टल हाउसेज न होने के कारण किसी का घर किराए पर लेकर उसमें इन्स्टाल करना पड़ता है और वहां कठिनाई जरूर होती है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर इन्स्ट्रूमेंट बहुत दिनों से खराब पड़े रहे उनको रीलेस किया जाय।

श्री उइके : माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मंत्री जी देहातों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां पर जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं उनकी जगह पर डाक तार विभाग की सम्बन्ध शाखायें खोली जायें ताकि जनता को अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके ?

श्री बृज लाल वर्मा : अभी ऐसी सम्भावना नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम देने के ख्याल से ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को काम देने की कोशिश हम कर रहे हैं। यह नान ट्रांसफरबल स्थान है और जो भी इन्टरेस्टेड लोग हैं उन को लगा कर हम कोशिश कर रहे हैं कि वे ठीक ढंग से काम कर सकें।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय विशेष रूप से मध्य प्रदेश के उन इलाकों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल कटे कटे से हैं और हर दृष्टिकोण से वे पिछड़े हुए हैं। मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां टेलीफोन लगाएंगे टेलीफोन कौन करेगा यह तो बाद की बात है लेकिन मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी है कि वहां पर सात सात और दस दस दिन तक वहां के लोगों की डाक जो उन के रिलेटिव्ज हैं उन को जो पत्र डाले जाते हैं उन को नहीं पहुंच पाते क्या आप ने यह निश्चय किया है कि कम से कम 3 दिन में या और कोई क्राइटीरियन आपने बनाया है कि इतने दिनों के अन्दर पर्वतीय क्षेत्रों में, किसी भी कोने में, डाक पहुंच जायेगी ? यह व्यवस्था आप ने की है और अगर नहीं की है तो कब तक ऐसा करने का आप का विचार है ?

श्री बृजलाल वर्मा : हम ने यह व्यवस्था इस साल से की है कि जिस दिन पोस्ट आफिस में डाक पहुंचेगी, उसी दिन उस गांव के आदमी को देने के लिए वहां से आदमी चला जाएगा। कोशिश करेंगे कि उसी दिन दे दें, पोस्ट आफिस में जिस दिन डाक पहुंचे, उसी दिन वहां से लैटर निकल जाए और दूसरे दिन तक न पड़ा रहे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जिसके नाम लैटर है उस तक कितने दिन में पहुंचेगा ?

श्री बृजलाल वर्मा : ये तो जो नार्म्स बने हैं, उस के मुताबिक जाएगा या जैसे वहां के रास्ते हैं, उन के मुताबिक जाएगा लेकिन पोस्ट आफिस में पहुंचने के बाद उसी दिन डिलीवर वहां से हो जाए, यह हमने निश्चय किया है।

Funds for Integrated Rural Development Programme in West Bengal

*1023. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total amounts of funds so far made available to the Government of West Bengal in the last financial year and also for the current financial year for integrated rural development programme in West Bengal;

(b) whether the Government of West Bengal have shown keen interest in the implementation of the programme through the Panchayats, and have complained of inadequacy of funds from the Centre; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto?